राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प. 1(23)चिस्वा–2/2009 जयपुर, दिनांकः 09.12.09

Spare Copy

आज्ञा

प्रदेश में स्वाईन फ्लू की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में उनके अधीनस्थ जिले में पदस्थापित चिकित्सकों/पैरा मेडिकल स्टाफ एवं विभाग के अन्य कर्मचारियों के पदस्थापन /समानीकरण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :–

1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य

यह समिति जिले में पदस्थापित चिकित्सकों एवं पैरा मैडिकल स्टाफ एवं विभाग के अन्य कर्मचारियों के सम्बंध में निम्न कार्यवाही कर सकेगी :–

1. जिले में स्टाफ की कमी वाले क्षेत्र में पूर्ति हेतु अधिकता वाले स्थान से स्थानांतरण कर सकेगी।
2. जहां किसी क्षेत्र की आवश्यकता अधिक स्टाफ लगाने की हो तो एक निर्धारित समय के लिए चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को लगा सकेगी ताकि किसी विशेष परिस्थिति से निपटा जा सके।

Send copy to the concerned 10/12

उपरोक्तानुसार जारी आदेश की प्रतिलिपि सम्बंधित संयुक्त निदेशक को भेजी जायेगी जो अपने संभाग की सूचना एकजाई कर निदेशक, जन स्वास्थ्य एवं अतिरिक्त निदेशक, राजपत्रित को भेजेंगे ताकि सम्बंधित के पदस्थापन के रिकार्ड को आदिनांक किया जा सके।

Ald (5)

उक्त समिति अगर समझे कि जिले के अन्दर उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है तो वह अपनी मांग संभागीय आयुक्त को भेज सकेगी जिनकी अध्यक्षता में अन्तर जिला समानीकरण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :–

1.	संभागीय आयुक्त	अध्यक्ष
2.	संयुक्त निदेशक	सदस्य
3.	सम्बंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य

उक्त समिति किसी विशेष जिले की तुरन्त मांग को पूरा करने के लिए संभाग के अन्य जिलों से चिकित्सकों एवं कर्मचारियों का इंतजाम करते हुए कार्य व्यवंस्था करेगी जो तब तक चलता रहेगा जब तक कि जिले में अस्थाई पदस्थापन के लिए व्यवस्था नही हो जाती है।

यह विशेष ध्यान रखा जायेगा कि जिस स्थान से चिकित्सक या कर्मचारी का स्थानांतरण किया जाता है वह पद यथावत रहेगा।

आज्ञा से,

(जी. एस. संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, चिकित्सा मंत्री जी।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि0 स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग।
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त जिला कलेक्टर
6. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
7. निदेशक, जन स्वा0/एड्स/परिवार कल्याण, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा0 सेवाएं जोन।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
11. समस्त अनुभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:— संस्था/चि0अ0/एटी/प.2/09/2783 दिनांक:— 10/12/09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1 समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन राजस्थान।
2 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
3 प्रभारी सेंट्रल सर्वर रूम मुख्यालय।
4 निजि पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक(राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर